न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री//3794/2001/बारां

1. धन्ना लाल पुत्र मोहना जाति माली निवासी बारां
2. श्रीमती देउ विधवा मोहना जाति माली निवासी नयापुरा बारां मृतक
3. श्रीमती भेरी पत्नी बाला पुत्री मोहना निवासी तालाबपाडा बारां
4. कल्लो उर्फ काली पत्नी द्वारकालाल पुत्री मोहना जाति माली निवासी बारां

अपीलान्ट

बनाम

1.छोटू लाल मृतक पुत्र ओंकारलाल जाति मालीी निवासी नयापुरा बारां जरिये वारिसान–
1/1.श्रीमती लछमा विधवा छोटू लाल
1/2. रामगोपाल पुत्र छोटू लाल फौत जरिये कायम मुकाम–
1/2/1.हेमन्त कुमार नाबालिग पुत्र रामगोपाल जरिये संरक्षक माता कैलाश बाई बेबा रामगोपाल निवासी माथना बाईपास रोड मांगरोल रोड बारां
1/2/2.कैलाश बाई बेबा रामगोपाल निवासी माथना बाईपास रोड मांगरोल रोड बारां
1/3. चौथमल पुत्र छोटू लाल
1/4.हेमराज पुत्र छोटू लाल
1/5.बिरधी लाल पुत्र छोटू लाल नाबालिग जरिये वली माता लछमा जाति माली निवासीगण बारां
1/6. चाहन्या पुत्री छोटू लाल पत्नी चौथमल
1/7.सुगना पुत्री छोटू लाल पत्नी मोहन लाल जाति माली निवासी मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार

रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री मोहन लाल नेहरा सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित
श्री खडग सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मुकेश जैन अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः30.8.18

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा कैम्प बारां के निर्णय व डिक्री दिनांक 14–5–2001 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बांरा के न्यायालय में प्रत्यर्थी छोटूलाल के कायम मुकामान की ओर से अपीलार्थी धन्ना लाल वगैरा के के विरूद्ध वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत एक वाद अधिनियम की धारा88,89,90,188 व 92 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। दूसरा वाद अपीलार्थी धन्ना लाल की ओर से अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दोनें वादों को इकजाई कर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 5–12–2000 से प्रत्यर्थी छोटू लाल की ओर से प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया और अपीलार्थी धन्ना लाल की ओर से प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी छोटू लाल ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 14–5–2001 से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दिया तथा प्रत्यर्थी छोटू लाल को विवादित आराजी का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया और

धन्ना लाल द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त भूमि के मोहना जिनके वारिसान जमना लाल हैं, सम्बत 2002 व 2003से विवादग्रस्त भूमि के सहखातेदार चले आ रहे हैं। यह इन्द्राज टीनेन्सी एक्ट से पूर्व के हैं। प्रदर्श डी–4 जिसकी नकल पेश है जो दिनांक 26–5–45 का है,उसके अनुसार ओंकार मोहना बेटे भूरा बहिस्से बराबर के खातेदार हैं एवं मोहना के वारिसान हम अपीलार्थी हैं। विधि अनुसार तो सारी भूमि के हकदार हम हैं क्योंकि दोनें परिवार के जाइन्दा वारिसान हम ही हैं। इस दृष्टि से छोटू लाल व उसके वारिसान को न कोई हक प्राप्त होता है न उनका कब्जा है और न उनका दावा साबित है। विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार तनकीवार निर्णय पारित किया है। प्रथम अपीलीय न्यायायल ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

5. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजी खेमा पुत्र हीरा व नोल्या पुत्र भागा की खातेदारी में दर्ज थी। गोपी नोल्या की पुत्री थी तथा गोपी के पति ओंकार को घरजवांइ रख लिया था। हीरा व भागा सगे भाई थे। आपसी रिश्तेदार होने के कारण खेमा व नोल्या एक साथ रहते थे तथा ओंकार दोनें की आराजी का उत्तराधिकारी बना। क्योंकि नोल्या

ने ओंकार को घर जवांई रख लिया था। मोहना ओंकार का सगा भाई है जिसे छोटया की पत्नी गोपी बाई ने ओंकार की मृत्यु के बाद काश्त की सहायता के लिये अपने पास रखा था। मोहना ने खेमा के हिस्से की आराजी पर अवैधानिक रूप से अपना नाम दर्ज करवा लिया तथा खेमा की मृत्यु के बाद उसके वारिसान भी उसके साथ बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज हो गये हैं जबकि विवादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त नहीं रहा है और नहीं उनका कोई वैधानिक अधिकार है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखकर तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही होने के कारण अपील खारिज योग्य है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सहायक कलेक्टर बांरा के न्यायालय में प्रत्यर्थी छोटूलाल के कायम मुकामान की ओर से अपीलार्थी धन्ना लाल वगैरा के के विरूद्ध वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत एक वाद अधिनियम की धारा88,89,90,188 व 92 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कुल विवादित आराजी का खातेदार घोषित करने एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में 1/2 हिस्से के किये गये अंकन को निरस्त करने तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की सहायता चाही है। दूसरा वाद अपीलार्थी धन्ना लाल की ओर से अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। जिसमें विवादित आराजी का बटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कर प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा अलग से निश्चित किया जावे तथा वादी को अपने 1/2 हिस्से पर अलग से कब्जा दिया जावे। विचारण न्यायालय ने दोनों वादों को

इकजाई कर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 5–12–2000 से प्रत्यर्थी छोटू लाल की ओर से प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया और अपीलार्थी धन्ना लाल की ओर से प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया है।

8. विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद पत्र के मद नं 1 में अंकित आराजी मृतक छोटू लाल व अपीलार्थीगण के संयुक्त खाते 1/2–1/2 में अंकित है। सर्वप्रथम नोल्या पुत्र भागा किता 6 रकबा 5 बीघा 15 विस्वा के खाते प्रदर्श डी–1 अनुसार अंकित थी व किता 8 रकबा 6बीघा 4विस्वा खेमा पुत्र हीरा के खाते प्रदर्शडी–2 के अनुसार अंकित थी तथा उसके बाद प्रदर्श डी–3 के अनुसार वादग्रस्त आराजी मोहना,छोटया व नन्दकिशोर 1/2,1/2 खाते अंकित हुई। नकल नामान्तरकरण प्रदर्श डी4 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पहले ओंकार व मोहना के खाते दर्ज थी। ओकार का देहान्त होने पर मोहना पुत्र भूरा व छोटया व नन्दकिशोर बांट बराबर दर्ज हुई है। उक्त आराजी के साबिक व हाल खसरा नम्बरों की पुष्टि मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श डी–5 से होती है। वर्तमान में उक्त आराजी मृतक छोटया व अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण के खातेदारी में अंकित है। इसलिये यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादग्रस्त आराजी अकेले वादी के खाते की हो। विवादित आराजी का वादी 1/2 हिस्से का खातेदार है। पत्रावली में उपलब्ध नकल खाता प्रदर्श डी–1 में विवादित आराजी में से 6किता आराजी नोल्या पुत्र भागा के खाते दर्ज है तथा प्रदर्शडी–2से 8 किता आराजी खेमा के खाते दर्ज है। प्रदर्श डी–1 से 6 किता आराजी 5बीघा 15विस्वा व खेमा के खाते 6बीघा 4 विस्वा आराजी होना प्रमाणित

है। मौखिक साक्ष्य में पूर्व खातेदार नोल्या पुत्र भागा वादी का नाना होना बताया गया है। नोल्या की पुत्री गोपी बाई का विवाह ओंकार के साथ होना कथन किया है। नोल्या के कोई पुत्र नहीं था और उसने ओंकार को घर जवांई रखना बयानें में कथन किया है। बयानों में खेमा के स्त्री व सन्तान नहीं होना भी कथन किया गया है। किन्तु आराजी शाामिल काश्त करने व उनकी मृत्यु के बाद ओंकार ही अकेला मालिक बना हो यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। क्योंकि विवादित आराजी का अकेला खातेदार ओंकार नहीं रहा। उक्त आराजी के खातेदार ओंकार व मोहना रहे हैं। ओंकार की मृत्यु के बाद छोटया व मोहना खातेदार रहे तथा मोहना की मृत्यु के बाद छोटया व अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण 1/2,1/2 हिस्से के खातेदार रहे हैं।इसलिये यह प्रमाणित नहीं है कि वादी मृतक छोटया नोल्या व खेमा से प्राप्त आराजी का अकेला मालिक रहा हो।

9. वादी ने अपने वाद में यह कथन किया है कि ओंकार के देहान्त के बाद छोटया नाबालिग होने से उसकी माता गोपी बाई ने मोहना से पांती काश्त पर कराई है तथा बाद में सारी आराजी छोटया ने काश्त की हो, इस बाबत वादी एवं प्रतिवादी के गवाहान भिन्न भिन्न तरह के बयान करते हैं। किन्तु नकल खाता प्रदर्श डी–3 के अनुसार मोहना व छोटया दोनों का नाम आराजी में समान रूप से आया है। प्रदर्श डी–19 में कब्जा मोहना व छोटया दर्ज है। दोनों संयुक्त खातेदार होने से दोनों का ही समान रूप से आराजी में कब्जा होना प्रमाणित होता है। मोहना के फौत होने के बाद आराजी छोटया व अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते में आई और ऐसा कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि विवादित आराजी सारी पर मृतक छोटया का कब्जा

काश्त रहा हो। रसीद करता प्रदर्श डी–6 से लेकर 23 तक प्रतिवादी द्वारा जमा कराया जाना प्रमाणित होता है। इसलिये यह प्रमाणित नहीं है कि वादी मृतक छोटया विवादित सम्पूर्ण आराजी पर काबिज हो। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गलत विवेचन कर विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है। जबकि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का सही विवेचन कर निर्णय पारित किया है। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता।

10. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–5–2001 निरस्त किये जाते हैं। सहायक कलेक्टर बांरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5–12–2000 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य